प्रतिलेखन संख्या 9

सभापति महोदय, ये शब्द नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपिता के हैं। जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। क्या

वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता का कहा

हुआ है। आज 54 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं लेकिन राष्ट्रपिता की इस बात पर आज

तक ध्यान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक

कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और

मैंने इस विधान परिषद की नियमावली में एक वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था लेकिन मेरा

दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि

कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो

और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए।

सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता–पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और

उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं फिर बालाकें पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे

सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है। जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं

वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालाकें पर अवश्य पड़ेगा।

आप देखेंगे कि जिस मनोवृत्ति के माता–पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं।

हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं लेकिन स्वयं उस पर अनुपालन नहीं करते। इसके साथ ही साथ

हमको शिक्षा–प्रणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा

रहा है वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि

चौदह वर्ष तक बालकों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दैनिक कार्यों में भी अंग्रेजी

का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं

समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इस का उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत–सी बातों पर

कार्यान्वयन कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।